फैक्ट्री में सहकर्मी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

▶डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया।

नई दिल्ली , (वीअ)। दिल्ली पुलिस ने गांधी नगर इलाके की एक कपड़ा फैक्ट्री में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 27 वर्षीय आरोपी को उत्तम नगर से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि गांधी नगर थाने की पुलिस ने आरोपी अरबाज की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून से सनी कैंची और अपराध के समय उसके द्वारा पहने गए खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं।

पुलिस के अनुसार, चार जून की रात गांधी नगर के रघुवरपुरा-द्वितीय स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में शराब पीने के दौरान मजदूरों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी दौरान अरबाज ने कथित तौर पर टाइगर नाम के एक मजदूर पर हमला किया और फिर कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति को कैंची घोंप दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि बाद में अस्पताल में टाइगर की मौत हो गई।

डीसीपी ने बताया कि चश्मदीदों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने सात जून को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। उनके मुताबिक, दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी अरबाज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि पृष्ठभूमि की जांच में पता चला कि वह किशोर अवस्था के दौरान 2019 में संगम विहार थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में भी शामिल था। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

माकपा नेता ने पुलिसकर्मियों पर छात्रा के उत्पीड़न का आरोप लगाया

नई दिल्ली , (वीअ)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता वृंदा करात ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने से एक छात्रा को रोकने के लिए न्यू राजिंदर नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा उसे कथित तौर पर धमकी दिए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त के दखल की मांग की है। पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा को लिखे आठ जून के एक पत्र में करात ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। माकपा नेता ने आरोप लगाया कि छात्रा को जिम से उठाया गया था, उसके राजनीतिक विचारों के बारे में पूछताछ की गई, बीते छह जून के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी दी गई और बाद में बिना किसी कानूनी आधार के निगरानी में रखा गया।

पत्र के अनुसार, महिला एक स्नातकोत्तर छात्रा है और उसे पांच जून को कुछ पुलिसकर्मियों और एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा जिम से ले जाया था। करात ने आरोप लगाया कि उसे पास के एक कोचिंग संस्थान के पार्किंग क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उन्होंने उससे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और राजनीतिक विचारों के बारे में पूछताछ की।अधिकारियों ने कथित तौर पर उसे बताया कि उन्हें जानकारी है कि उसने अगले दिन सीजेपी प्रदर्शन में भाग लेने की योजना बनाई है और उसे इसमें शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई।

हाशिम बाबा गिरोह का शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली , (वीअ)। दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद हाशिम बाबा गिरोह के एक कथित शूटर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सोमवार रात हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी आमिर उर्फ सलीम के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि वह 2024 के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मामले में वांछित था।

अपराध शाखा के अनुसार, आमिर, आकाश शर्मा उर्फ छोटू और उसके भतीजे ठुषभ शर्मा की हत्या के मामले में वांछित था। 31 अक्टूबर, 2024 को दिवाली पर शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यह घटना उनके घर के बाहर ही हुई थी।पुलिस ने बताया कि इस हमले में आकाश के बेटे कृष को भी गोली लगी थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई थी और फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था।पुलिस ने सोमवार देर रात शास्त्री पार्क में मेट्रो डिपो के पास जाल बिछाया था।

अधिकारियों ने बताया कि रात 10.48 बजे संदिग्ध को देखा गया और उसे रुकने के लिए कहा गया। हालांकि, खुद को घिरा हुआ पाकर उसने कथित तौर पर पिस्तौल निकाली और पुलिस पर गोलियां चला दी।

पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल मनोज ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपी को काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया है।

पुलिस के मुताबिक, उसके पास से एक पिस्तौल, चार कारतूस और चार खोखे बरामद किए गए है।जांचकर्ताओं के अनुसार, आमिर गंभीर अपराधों सहित 14 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। अन्य अपराधों में उसकी भूमिका का पता लगाने और उसके साथियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

ब्राह्मण सभा की तरफ से शिवाकांत द्विवेदी का सम्मान किया गया

नोएडा, (वीअ)।चित्र हर गांव में पंडित पीतांबर शर्मा के निवास पर ब्राह्मण सभा की तरफ से गौतम बुद्ध नगर में सीडीओ रहे श्री शिवाकांत द्विवेदी का सम्मान किया गया पका सोल और पगड़ी पहनकर पंडित पीतांबर शर्मा और सहयोगियों ने उनका स्वागत किया और भगवान परशुराम की एक मूर्ति उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान की श्री शिवाकांत द्विवेदी का स्थानांतरण लखनऊ को हो गया है लखनऊ में वह ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर गए हैं गौतम बुद्ध नगर में 9 महीने के कार्यकाल में उनका व्यवहार बहुत ही मृदु और मिलनसार रहा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी ऐसे व्यवहार कुशल अधिकारी के जाने पर विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद की तरफ से मिलकर सभी ने अधिकारी का भाव स्वागत किया अपने वक्तव्य में शिवाकांत द्विवेदी ने सभी उपस्थित ब्राह्मण समाज का आभार व्यक्त किया और कभी भी मेरे लायक कोई काम हो आप सीधे मेरे से बात कर सकते हैं ।

बावरिया गिरोह का अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली , (वीअ)। दिल्ली पुलिस ने बावरिया गिरोह से कथित रूप से जुड़े एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निवासी जयप्रकाश उर्फ बिट्टू (50) पर हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी और शस्त्र अधिनियम के तहत दिल्ली के विभिन्न थानों में पांच मामले दर्ज है। पांच जून को बावरिया गिरोह के एक सक्रिय सदस्य की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी।उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम , ई-प्रिजन पोर्टल और स्थानीय खुफिया जानकारी सहित तकनीकी निगरानी का उपयोग करते हुए, बुराड़ी थाने की एक टीम ने उसी दिन संत नगर बाजार से जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस के एआई-आधारित प्रणाली लागू करने से एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाओं को बेहतर मार्ग मिलेंगे

नई दिल्ली , (वीअ)। दिल्ली की सड़कों पर एम्बुलेंस और दमकलकर्मियों की आवाजाही तेज करने के उद्देश्य से, यातायात पुलिस संकट के समय आपातकालीन वाहनों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित यातायात प्रबंधन और मार्ग निर्धारण प्रणाली लागू कर रही है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि यह पहल कई आपात स्थितियों, विशेष रूप से हाल ही में मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी, के मद्देनजर शुरू की गई है। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि यातायात जाम के कारण दमकल गाडयिं घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हुई।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ट्रैफिक टीमें हजारों सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज पर नजर रखती है। इसके अलावा, हमारी एआई-आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली हमें व्यस्त यातायात क्षेत्रों की स्पष्ट जानकारी देगी। किसी भी आपात स्थिति में, व्यस्त यातायात क्षेत्रों में, हमारी प्रणाली दमकल कर्मियों और एम्बुलेंस को सबसे छोटे और तेज मार्गों से जाने के लिए सतर्क करेगी।

उप्र कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: विशेष रेलगाड़ियों का संचालन

नई दिल्ली, (बिसं)। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिया उत्तर रेलवे द्वारा आज 10 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया गया जिसमें तिलक ब्रिज - सहारनपुर, सहारनपुर -तिलक ब्रिज, मेरठ - सहारनपुर, सहारनपुर - मेरठ, मुरादाबाद - सीतापुर, लखनऊ - बनारस, लखनऊ- प्रयागराज संगम, लखनऊ- कानपुर- लखनऊ का संचालन किया गया।

सेना के पूर्व अधिकारी ने गुरुग्राम यातायात पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, शिकायत दर्ज

गुरुग्राम, (वीअ)। गुरुग्राम में सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए यातायात पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि यातायात पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को आधी रात को लगभग डेढ़ घंटे तक सड़क पर खड़ा रखा। उन्होंने कहा कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब शराब पीने संबंधी दो बार की गयी जांच में बेगुनाही साबित होने के बावजूद पुलिस ने परिवार को जाने नहीं दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की जांच यातायात (पूर्व) के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को सौंपी गई है।शिकायत के अनुसार, सेवानिवृत्त मेजर हेमेंद्र सिंह ने कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे और उनकी टीम ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया था। वह वर्ष 2007 में दिव्यांगता के आधार पर सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में कॉर्पोरेट में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत है।शिकायत के अनुसार, सात जून की रात मेजर हेमेंद्र सिंह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ साइबर सिटी गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक रेस्तरां में भोजन करने के बाद अपने आवासीय परिसर लौट रहे थे, तभी पुलिस की एक टीम ने उन्हें रोक लिया।उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के दौरान पुलिसकर्मी ने शराब की जांच करने वाले उपकरण को बिना स्ट्रॉ या नोजल बदले सीधे उनके मुंह में लगा दिया, जबकि उससे पहले उसी उपकरण का इस्तेमाल किसी अन्य चालक की जांच के लिए किया गया था।

मेजर का आरोप है कि प्रारंभिक जांच में अल्कोहल का स्तर 91 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज हुआ, जो निर्धारित सीमा से काफी अधिक था।

रिशिता ने वैश्विक महिला अध्ययन सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार जीता

नई दिल्ली , (वीअ)। दिल्ली-एनसीआर स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और विश्लेषण में स्नातकोत्तर की छात्रा सुश्री रिशिता डांग ने थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित 12वें विश्व महिला अध्ययन सम्मेलन (2026) में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रस्तुति पुरस्कार जीता है। रिशिता की प्रस्तुति, जिसका शीर्षक था ठशारीरिक बाधाओं को तोड़ना: विकासशील संदर्भों में लैंगिक बाधाओं से जूझती महिला एथलीटों के अनुभवठ, में उन्होंने सीमित संसाधनों और पुरुष-प्रधान खेल परिवेशों में महिला एथलीटों द्वारा सामना की जाने वाली दैनिक चुनौतियों का विश्लेषण किया। एक अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी के रूप में अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, उन्होंने व्यक्तिगत वृत्तांत को नारीवादी और खेल अध्ययन के दृष्टिकोण से मिलाकर दिखाया कि कैसे लैंगिक अपेक्षाएं, सत्ता संरचनाएं, शारीरिक नियमन और संवेदनशीलता खेल में महिलाओं के अनुभवों को आकार देती हैं।

उनके विश्लेषण ने मौन, आत्म-निगरानी और दृढ़ता जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को हाशिए पर धकेलने वाली प्रणालियों से निपटने के लिए महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख रणनीतियों के रूप में उजागर किया। रिशिता ने तर्क दिया कि इन वास्तविक अनुभवों को स्वीकार करना लगातार बनी हुई लैंगिक असमानताओं को दूर करने और खेल की पुरुष-प्रधान संस्कृति को बदलने के लिए आवश्यक है।

पटौदी हाउस में आग लगी, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली, (वीअ)। पुरानी दिल्ली के पटौदी हाउस इलाके में मंगलवार दोपहर एक रिहायशी इमारत में आग लगने के बाद दमकल की गाडयिं को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पा लिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी।डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि अपराह्न करीब पौने तीन बजे दरिया गंज में पटौदी हाउस स्थित एक इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग को अपराह्न 3.45 बजे तक बुझा दिया गया।अधिकारी ने कहा कि आग घर में रखे समान में लगी थी और घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

नूंह में गो तस्कर गिरफ्तार किया

गुरुग्राम, (वीअ)। हरियाणा पुलिस ने नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ी कोठी के पास एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद एक कथित गो तस्कर को पकड़ लिया। हालांकि, इस दौरान आरोपी का एक साथी भागने में सफल रहा।पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे नलहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल पर एक पिकअप वाहन से पांच मवेशियों के साथ-साथ अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए है। उसने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।पुलिस के अनुसार, तस्कर एक पिकअप वाहन में मवेशियों को ले जा रहे थे और जब पुन्हाना अपराध जांच एजेंसी की एक टीम ने एक्सप्रेसवे पर बड़ी कोठी के पास उन्हें रुकने का इशारा किया, तो वे बैरिकेड तोड़कर भागने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तस्करों का पीछा किया।

दिल्ली: काला जठेड़ी गिरोह का सदस्य बन कारोबारी से मांगी रंगदारी, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली पुलिस ने खुद को कुख्यात काला जठेड़ी गिरोह का सदस्य बताकर एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान यमुनानगर निवासी राजन कालरा (26) और हरियाणा के जगाधरी निवासी साहिल गर्ग (38) के रूप में हुई है। अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन उनसे बरामद किए गए हैं।

उत्तर पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने बताया कि बवाना में प्लास्टिक ग्लू टेप बनाने का कारोबार करने वाले व्यवसायी रोहित जैन ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने स्वयं को हरियाणा के काला जठेड़ी गिरोह का सदस्य बताया और पैसों की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर जान से मारने सहित गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि जैन का साहिल गर्ग के साथ एक व्यापारिक विवाद चल रहा था, जिसने पहले उनके खिलाफ धोखाधड़ी और लगभग 2.95 करोड़ रुपये का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के मुताबिक, धमकी देने वाले व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उक्त रकम की वसूली के लिए उसने साहिल गर्ग से 50 लाख रुपये की टोकन राशि ले रखी है। साथ ही यह भी धमकी दी कि यदि शिकायतकर्ता ने भुगतान नहीं किया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी।डीसीपी ने बताया कि रंगदारी और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत सात जून को प्राथमिकी दर्ज की गई।

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure)
In The Court of
Sh. Vinod Yadav, LD. District Judge (Commercial Court)-02, North-West District, Room No. 205, 2nd Floor, Rohini Court, Delhi.
CS (Comm.) No.591/2025
Subh Lakmi Steel HUF
.....(Plaintiff)
V/s
Mamta Acharay
.....(Defendant)

To,
Mamta Acharay, Prop. of Simran Enterprise, R/o H. No. 18, First Floor, Khasra No. 27/3/13, Village Badli, Near Primary School, Delhi-110042.
Also At: Khasra no.146/1, Village Mukandpur, Mukan Vihar, Part-I, Delhi-110081.

Whereas you, in view of the reports already received, cannot be served in ordinary way. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the **13th day of August, 2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this **06th day of June, 2026.**

Seal **Sd/-**
District Judge (Comm. Court)-02, North-West District, Rohini Courts, Delhi.

Proclamation of Sale
(Under Order 21, Rule 66)
In The Court of
Sh. Naresh Kumar Laka, LD. District Judge-07, Central District, Room No. 308, Tis Hazari Courts, Delhi.
Ex. No. 124009/2016 **NDOH: 14.08.2026**
Suit No. 103/2004 **ACJ: 05.06.2026**
M/S Popular Jewellery Mart
A Proprietorship of Sh. Yash Pal Jain (Huf)
Through Its Kart Sh. Rohit Jain, At: 2191/62, Gurudwar Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Versus
M/S Bakshi Ram Rajinder Kumar Jewellers
Through Its Sole Proprietor Shri Vijay Kumar Sehdev 2213, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.
To,
The Court Auctioneer, Sh. Tejeshwar Singh Bakshi, Adv. (Enrollment no. D/933/2004), Chamber No. 291, Civil Side, Tis Hazari Court, Delhi-110054.

Notice is hereby given that, under Rule 64 of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908, an order dated 14.11.2025, 22.05.2026 & 01.06.2026 has been passed by this Court for the sale of the suit property mentioned in the annexed schedule, in satisfaction of the claim of the decree-holder in the execution arising out of under mentioned suit no. SUIT NO. 103/2004, Judgment and Final Decree dated 10.02.2006, the reserved price of the property is fixed at Rs. 43,00,000.00 and earnest money is as per rule and shall be given on or before the date of auction by bidders.

(1) The sale of the half share of the JD in the property bearing no. N-74, Basement, Kirti Nagar, New Delhi as mentioned in the schedule will be held by public auction on 30.07.2026 at 11:00 AM and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule.

In the absence of any order of the postponement, the sale will be held by Court Auctioneer on **30.07.2026 at 11:00 AM** on the spot.

At the sale, the public generally are invited to bid, either personally or by duly authorized agent. No bid by, or on behalf of the Judgment-debtor above mentioned, however, will be accepted, nor will any sale to them be valid without the express permission of the Court previously given, The following are the further:-

Conditions of Sale

1. The particulars specified in the schedule below have been stared to the best of the information of the Court, but the Court will not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

2. The amount by which the biddings are to be increased shall be determined by the officer conducting the sale. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

3. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot, provided always that he is legally qualified to bid, and provided that it shall be in the discretion of the Court or officer holding the sale to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it advisable to do 50.

4. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the officer conducting the sale to adjourn it subject always to the provisions of rule 69 of Order XXI.

5. In the case of movable property, the price of each lot shall be paid at the time of sale or as soon after as the officer holding the sale directs, and in default of payment the property shall forthwith be again put up and re-sold.

6. In the case of immovable property the person declared to be the purchaser shali pay immediately after such declaration a deposit of 25 per cent. On the amount of his purchase-money to the officer conducting the sale, and in default of such deposit the property shall forthwith be put up again and re-sold.

7. The full amount of the purchase-money shall be paid by the purchaser before the Court closed on the thirtieth (30th) day after the sale of the property, exclusive of such day, of it the fifteenth day be a Sunday or other holiday, then in the first office day after the thirtieth (30) day.

8. In default of payment of the balance of purchase money within the period allowed, the property shall be re-sold after the issue of a fresh notification of sale, may, if the Court thinks fit, be forfeited to Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.

9. This proclamation be read with additional condition as per order dated 14.11.2025, 22.05.2026 & 01.06.2026.

Given under my hand and the seal of the Court, this **02.06.2026.**

Seal **Sd/-**
District Judge, Central-07, Tis Hazari Courts, Delhi

Schedule of Property

Number of lot: ....

Description of property to be sold with the name of each owner where there are more judgment-debtor than one: The half share of the JD in the property bearing no. N-74, Basement, Kirti Nagar, New Delhi.

The revenue assessed upon the estate or part of the estate, if the property to be sold is an interest in an estate paying revenue to Government: ------

Detail of any encumbrances to which the property is liable: -----

Claims if any, which forward to the have been put property and any other known particulars bearing on its nature and value: -----

Reserve Price: Rs. 43,00,000/-

"Publication"
U/S 25-B, Delhi Rent Control Act-1958
In The Court of
Ms. Divya Gupta, Additional Rent Controller-2, Central District, Room No. 36, Tis Hazari Courts, Delhi.
E-67/26
(RC ARC-141/2026)
Kuldeep Kumar
....Petitioner
Versus
Pankaj Batra
.....Respondent

To,
1). Sh. Pankaj Batra,
2). Sh. Rahul Batra,
Both Available At: Shop No. 10124, Ward No. XII, Situated At Library Road, Nawab Ganj, Pul Bangash, Azad Market, Delhi-110006.

(Name, description and place of residence of tenant):

Whereas Petitioner has filed an application (a copy of which is annexed) for your eviction from The Tenanted premises (mentioned in copy attached) on the ground specified in clause (e) of Proviso to Sub-section (1) of section 14.

You are hereby summoned to appear before the Controller within fifteen days of the service thereof and to obtain the leave of the Controller to contest the application for eviction on the ground aforesaid in default whereof, the applicant will be entitled at any time after the expiry of the said period of fifteen days to obtain an order for your eviction from the said premises.

Leave to appear and contest the application may be obtained on an application to the controller supported by an affidavit as referred to in sub-section (5) of Section 25 (B).

Given under my hand and seal of the Court, this **06th day of June, 2026.**

Seal **Sd/-**
Additional Rent Controller-2, (Central) Tis Hazari Courts, Delhi.

"Publication"
U/S 25-B, Delhi Rent Control Act-1958
In The Court of
Ms. Divya Gupta, Additional Rent Controller-2, Central District, Room No. 36, Tis Hazari Courts, Delhi.
E-66/26
(RC ARC-140/2026)
Kuldeep Kumar
.....Petitioner
Versus
Kanhaiyalal
....Respondent

To,
1). Sh. Kanhaiyalal,
2). Sh. Nikhil Batra,
Both Available At: Shop No. 10124, Ward No. XII, Situated At Library Road, Nawab Ganj, Pul Bangash, Azad Market, Delhi-110006.

(Name, description and place of residence of tenant):

Whereas Petitioner has filed an application (a copy of which is annexed) for your eviction from The Tenanted premises (mentioned in copy attached) on the ground specified in clause (e) of Proviso to Sub-section (1) of section 14.

You are hereby summoned to appear before the Controller within fifteen days of the service thereof and to obtain the leave of the Controller to contest the application for eviction on the ground aforesaid in default whereof, the applicant will be entitled at any time after the expiry of the said period of fifteen days to obtain an order for your eviction from the said premises.

Leave to appear and contest the application may be obtained on an application to the controller supported by an affidavit as referred to in sub-section (5) of Section 25 (B).

Given under my hand and seal of the Court, this **06th day of June, 2026.**

Seal **Sd/-**
Additional Rent Controller-2, (Central) Tis Hazari Courts, Delhi.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (गुरुग्राम) बीएसडी विभाग, 1398, प्रथम तल, चांदनी चौक, दिल्ली–110006

आरओ (गुरुग्राम)/बीएसडी/2026–27/20 दिनांक: 09.06.2026

लीज पर स्थान के लिए बोलियों/ऑफर का आमंत्रण

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपनी प्रस्तावित शाखाओं के लिए ऐसी जगह चाहिए जिसका कारपेट एरिया नीचे बताए अनुसार हो। यह जगह या तो तुरंत कब्जे के लिए तैयार होनी चाहिए या 3 महीने के अंदर कब्जे के लिए तैयार हो जानी चाहिए। प्राथमिकता ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद जगह को दी जाएगी जहाँ पर्याप्त पार्किंग की सुविधा हो। कृपया कोई ब्रोकर या बिचौलिया संपर्क न करे। सरकारी/अर्ध–सरकारी संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in से फॉर्मेट/नियम और शर्तें डाउनलोड करें या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय–गुरुग्राम, बीएसडी विभाग, 1398, पहली मंजिल, चांदनी चौक, दिल्ली–110006 से कार्यदिवसों में कार्यालय समय के दौरान इन्हें प्राप्त करें। ऑफर जमा करने की आखिरी तारीख 02.07.2026 को अप. 04:00 बजे तक है।

क्र. सं.	प्रस्तावित शाखा का नाम	अपेक्षित कार्पेट एरिया (वर्ग फीट में) (लगभग)	पिन कोड	क्षेत्र/शाखा श्रेणी
1	सेक्टर–86, गुरुग्राम	1000–1500	122004	गुरुग्राम/शहरी
2	सेक्टर–52, गुरुग्राम	1000–1500	122003	गुरुग्राम/शहरी
3	गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, गुरुग्राम	1000–1500	122002	गुरुग्राम/शहरी
4	सेक्टर–10, गुरुग्राम	1000–1500	122001	गुरुग्राम/शहरी
5	सेक्टर–113, गुरुग्राम	1000–1500	122017	गुरुग्राम/शहरी
6	सेक्टर–44, गुरुग्राम	1000–1500	122003	गुरुग्राम/शहरी
7	उद्योग विहार, गुरुग्राम	1000–1500	122016	गुरुग्राम/शहरी

(मुकेश कुमार), मुख्य प्रबंधक